रा.मु., उदयपुर

ते. प. यो. 25

राजस्थान सरकार

वन विभाग

तेन्दू पत्ता निविदाकार का करारनामा

{निविदा सूचना की शर्त (7) (3)}

यह करार .... आज दिनांक ....माह ....
सन् .... को प्रथम पक्ष .... के मार्फत कार्य करते हुये राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हें इसके आगे ''राज्य सरकार'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होगें) तथा द्वितीय पक्ष श्री ....आत्मज..................................
ग्राम .... तहसील...जिला..
(जिन्हें इसके आगे ''निविदाकार'' कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उसके दायाद उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होगें) के मध्य किया जाता है।

चूंकि तेंदू पत्तों का व्यापार, राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों द्वारा विनियमन होता है।

और चूंकि राज्य सरकार राजस्थान को विभिन्न तेन्दू पत्ता इकाईयों से संबंधित अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के .... अनुसार संभाग/वन मण्डल............................ ....की इकाई क्रमांक .... के तेन्दू पत्तों का निविदा द्वारा निवर्तन करना चाहती है।

और चूंकि राज्य सरकार उपरोक्त निविदा सूचना की शर्तों के परिपालन के लिए सम्भावित निविदाकारों से निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व एक करारनामा निष्पादित करना चाहती है।

जब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और इससे सबंधित पक्ष एतदद्वारा निम्नलिखित रूप में परस्पर करार करते है :–

(1) मैं/ हम एतदद्वारा यह घोषित करता हूँ/करते है कि मैंने/ हमने राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 के समस्त उपबन्धों, उसके अधीन बनाये गये नियमों उपरोक्त वर्णित निविदा सूचना की शर्तों तथा उपरोक्त निविदा सूचना से सलंग्न करारनामा की शर्तों को पढ लिया है, और समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने का करार करता हूँ/करते है।

(2) मैं/ हम एतदद्वारा यह घोषित करता हूँ/करते है कि मैं/मेरी/हमारी निविदा किसी भी समय वापस नहीं करूंगा/करेंगे मैं/हम यह भी घोषित करता हूँ/करते है कि मैं/मेरी/हमारी निविदा खुलने के बाद अपने प्रस्ताव (ऑफर) पर तथा निविदा सूचना के निबन्धनों तथा शर्तों पर तब तक बाध्य रहूंगा/रहेंगे जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के आदेश पारित नहीं हो जाते अथवा दूसरा व्यक्ति अथवा पक्ष उस इकाई के लिये खरीददार नियुक्त नहीं हो जाता एवं नियुक्त क्रेता/क्रेताओं द्वारा इकरारनामा निष्पादन उपरान्त निविदा शर्त सं. 20 (1) की पालना में देय राशि एवं बैंक गारंटी जमा कराकर दखल नहीं ले लिया जाता जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

11

(3) मेरे/हमारे द्वारा इस करारनामे की शर्तों के प्रतिपालन में असफल रहने पर मैं/हम ऐसी शास्ति के भुगतान के दायित्वाधीन रहूंगा/रहेंगे जैसी कि निविदा सूचना की शर्तों और उपबन्धों के अधीन लागू होगी।

(4) इस करार के संबंध में यही और सदैव सही समझा जायेगा कि राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय–समय पर जारी किये गये आदशों तथा अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन जारी की गयी निविदा सूचना के निबन्धनों तथा शर्तों के जो सब इस करार के भाग होंगे और उसके भाग वन गये समझे जायेंगे और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि वे इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्धित है, उपबन्धों के अधीन है।

(5) मैं/हम एतदद्वारा घोषित करता हूँ/करते कि मेरे/हमारे विरूद्ध राजस्थान राज्य में तेन्दू पत्ते के संबंध में कोई राशि बकाया नहीं है।

(6) जिसके साक्ष्य में इससे संबंधित पक्षों ने प्रथम बार ऊपर लिखे गये दिनांक तथा वर्ष को अपने–अपने ~~हस्ताक्षर कर दिये है।~~

मैं/हम एतदद्वारा घोषित करता हूँ/करते कि मैं/हम इस इकाई की क्रय राशि के भुगतान की हैसियत रखता हूँ। मेरी/हमारी हेसियत प्रमाण पत्र अनुसार हैसियत ....रूपये है एवं मेरी/हमारी चल/अचल समत्ति का विवरण निम्नानुसार है जो PAN No- ....की आयकर रिटर्न अनुसार है। मेरा/हमारा आधार कार्ड, PAN कार्ड की प्रति विवरण चल/अचल सपत्ति निविदा फार्म के साथ सलंग्न कर दी गई है ।

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

....

....

....

साक्षीगण :– (1) ....

(2) ....

की उपस्थिति में

राजस्थान के राज्यपाल के लिये तथा उनकी ओर से कार्य करते हुए ....

....

के हस्ताक्षर

साक्षीगण :– (1) ....

(2) ....

की उपस्थिति में

निविदाकार के हस्ताक्षर